



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1105/UP/10/2022-ESDW

दिनांक: 13.01.2023

सेवा में,

श्री एस. राजलिंगम,
जिलाधिकारी,
जिला - वाराणसी,
आयुक्त कार्यालय कचेहरी,
वाराणसी -221002 (उत्तर प्रदेश)
ई मेल: dmvar@nic.in

विषय: गोंड (अनुसूचित जनजाति) प्रमाण पत्र बनाने में नियम का उलंघन करते हुए झूठी वह गलत रिपोर्ट लगाकर आवेदन पत्र को खारिज करने के संबंध में श्री राजकुमार गोंड, मंडल अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, चोबेपुर, ग्राम व पोस्ट बर्थरा खुर्द, चोबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का दिनांक 04.11.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री राजकुमार गोंड से दिनांक 04.11.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।


कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री राजकुमार गोंड,
मंडल अध्यक्ष,
अनुसूचित जनजाति मोर्चा, चोबेपुर,
ग्राम व पोस्ट बर्थरा खुर्द,
चोबेपुर, वाराणसी,
उत्तर प्रदेश

559-60 %
17/1/23 किया
ISSUED


(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)